

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 353/2014 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2014/00025)

अनवान:

1. श्रीमती सरस्वती पति चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी 15 के.आर. डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. रामेश्वर
3. गोपीराम
4. नेतराम
5. राजेन्द्र
6. ओमप्रकाश पुत्रगण श्री चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नं. 2 सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. साहबराम
2. श्रवणकुमार
3. रणजीत
4. प्रेमकुमारद पुत्रगण श्री सहीराम जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नं. 3, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान।



8.9.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्वाम जीना)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर